

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

ख्या. १५ तारीख दायर ०६/०८/२०२० दिनांक निर्णय ०३/०९/२०२०

उनवान

पटवारी हमका भजेडा बनाम प्रभाती देवी

प्राज पत्रावली मु.-नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।
रसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207...७ का नया कब्जा होना साबित होता है।
नी काबिल बेदखली है।

बोध है कि-

यल प्रभाती देवी पुत्र/पत्नी श. श्री सोहनपाल शीवा

मीना निवासी इन्दपुरा

आराजी खसरा नं. १६१ रकबा १.२० किस्म न्यारगाह वाके ग्राम.

इन्दपुरा से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान ७२० की

५० गुणा में मु ३६०/- रुपये कायमी कराई जावें

RA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. ४ वर्ष २०२०-२१
के पृष्ठ संख्या १५ पन्ना ५ प. ३६०/-
राशि कायम किये गये।

पिबडी
त. रा. लेखाकार

श
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)
राजगढ़ (अलवर)